शिक्षा का अधिकार
पूर्ण शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/एकी.शा.नि./एम/2022/4834 भोपाल दिनांक 23.8.2022

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले
म0प्र0

विषयः वर्ष 2022–23 में एकीकृत शाला निधि (Composite school grant) के दिशा निर्देश।

समग्र शिक्षा अभियान की गाइड लाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार दरों पर स्वीकृति दी गई है।

शाला का कुल नामांकन	राशि
1–30	10,000
31–100	25,000
101–250	50,000
251–1000	75,000
1001 से अधिक	1,00000

उल्लेखनीय है कि एक परिसर एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएं कक्षा 01 से 08, कक्षा 06 से 10, कक्षा 06 से 12, कक्षा 01 से 10 एवं कक्षा 01 से 12 की हो गई है। अतः समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा।

विद्यालय की आवश्यकता एवं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंध समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाना है। शाला प्रबंध समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी।

शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शाला स्वच्छता हेतु शाला की साफ–सफाई, शौचालय की दैनिक साफ–सफाई, सफाई–सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित है। सत्र 2022–23 में Covid-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा।

विद्यालय के पास कुल उपलब्ध राशि में से अनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां निम्नानुसार हैः–

स.क्रं.	सुझावात्मक घटक	व्यय हेतु अनुपातिक राशि/प्रतिशत
1	स्वच्छता संबंधी कार्यो के लिए–(Covid-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सावधानी संबंधी निर्देश विस्तृत सुझावात्मक विवरण परिशिष्ट– 'अ' अनुसार)	एकीकृत शाला निधि का 10 %

स.क्रं.	सुझावात्मक घटक	व्यय हेतु अनुपातिक राशि/प्रतिशत
	भवन का रख–रखाव में प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत (विकासखंड से शाला तक पुस्तक परिवहन कक्षा 9–12) पुताई, बिजली बिल, लघु संरचना एवं विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था। शाला संचालन के समय एवं दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत शाला परिसर, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की स्वच्छता संबंधी कार्यवाही हेतु व्यय किया जा सकता है।	एकीकृत शाला निधि का 30 %
2	स्कूल चलें हम – ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण शिक्षा चौपाल, मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का जन शिक्षा केन्द्र से शाला तक परिवहन।	कुल राशि का 10 %
3	विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिए स्थानीय निधि से व्यय किया जाये।	कुल राशि का 5 %
4	शाला प्रबंध समिति की बैठक, (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए) शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिल बांचे म0प्र0 कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरूषों की जयंती।	कुल राशि का 5 %
5	राष्ट्रीय दिवस जैसे– गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के समारोहों का आयोजन।	कुल राशि का 10 %
6	कलर चॉक, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राईंग बुक, बच्चों को बैठने हेतु प्लास्टिक मेट/दरी, माध्यमिक शालाओं के लिएं विज्ञान सामग्री के साथ–साथ Online शैक्षणिक गतिविधियों (Digi LEP) को ध्यान में रखते हुये आवश्यक सामग्री यथा पेन ड्राईव, Internet, Smart Class से संबंधित व्यय किया जायें। प्रयोगशाला उपकरणों का रख–रखाव/मरम्मत/बदलाव। प्रयोगशाला सामग्री का क्रय (यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो)	कुल राशि का 20 %
7	विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप।	कुल राशि का 10 %

स.क्रं.	सुझावात्मक घटक	व्यय हेतु अनुपातिक राशि/प्रतिशत
	विद्युत व्यय का भुगतान राज्य के ग्लोबल बजट से प्रथमतः किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सकेगा।	

2/ सत्र 2022–23 में एकीकृत शाला निधि के अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति को अन्य गतिविधियों हेतु राशि का प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

स.क्रं.	गतिविधियां	व्यय हेतु अनुपातिक राशि/प्रतिशत
1	Safety & Security प्रति विद्यालय, प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिये (परिशिष्ट–अ में उल्लेखित निर्देशानुसार)	प्रति शिक्षक राशि 500/– तथा राशि रू. 2000/– प्रति विद्यालय तक, अधिकतम राशि कंडिका–1 के स.क्रं.–6 के कार्यों हेतु उपलब्ध राशि से व्यय की जा सकती है।
2	बाल सभा की गतिविधियां के आयोजन हेतु।	राशि 1000/–रू. प्रति विद्यालय
3	यूथ एण्ड ईको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिए।	राशि रू. 5000/–प्रति प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को पृथक– पृथक उपलब्ध कराई जायेगी।
4	खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु प्राथमिक/माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं एक परिसर एक शाला के लिए।	• प्राथमिक स्तर हेतु राशि 5000/– रू. • माध्यमिक स्तर हेतु राशि 10000/– रू. • एक परिसर एक शाला (EPES) एवं अन्य शालाओं हेतु राशि 10000/– रू.
5	आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहाँ बालिकाओं का नामांकन अधिक हो (माध्यमिक स्तर)	राशि 9000/– रू.
6	कक्षा 1 एवं 2 के लिये स्लेट/शैक्षणिक सामग्री।	राशि 70 रू. प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जाये।
7	मूल्यांकन (बेस लाईन, एंड लाईन, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन सी.सी.ई.)	मूल्यांकन के विभिन्न घटकों हेतु DEO, DPC, & SMC को राशि 40 रू. प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जायेगी।

स.क्रं.	गतिविधियां	व्यय हेतु अनुपातिक राशि/प्रतिशत
8	SMC/SMDC के प्रशिक्षण हेतु ।	राशि 3000/– रूपये।
9	SMC के सदस्यों को मोटिवेशन यथा जिनके बच्चें की शैक्षणिक सत्र में 95% से अधिक उपस्थित रहते है उन्हें कक्षा–1 से 8 मे प्रत्येक कक्षा से क्रमशः 01 बालक एवं 01 बालिका के लिए शील्ड, कप एवं प्रमाण पत्र हेतु।	राशि रू. 800/–

2.1 उपरोक्तानुसार मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 2022–23 के लिए वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला द्वारा व्यय की जा सकेगी।

2.2 उपरोक्तानुसार राशियों के व्यय के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं राशि का आवंटन संबंधित कक्ष के द्वारा जारी किये जायेगे।

3/ उपरोक्त के अतिरिक्ति एकीकृत शाला निधि से शालेय सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु सुझावात्मक दिशा निर्देश निम्नानुसार है:–

3.1 विद्यालय में नियमित साफ–सफाई हो, बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मेट हो, जो पूरे कमरे के लायक हो, जिस पर बच्चों को पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखते हुये बिठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साफ भी किया जा सकें।

3.2 शासन द्वारा शाला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना शाला से बाहर दीवार बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएं ताकि जनसमुदाय, ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। इसे शाला की बाहरी दीवार पर काला पेंट पुतवाकर उस पर सफेद पेंट से लिखवायें।

3.3 यह भी देखने में आता है, कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1–2 माह माह में ही फटने लगती है तथा उनके आगे के पाठ गायब हो जाते है। अतः यह आवश्यक है, कि सभी बच्चों की पाठयपुस्तकों पर कवर चढ़वाया जाए ताकि बच्चें उसे सालभर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कवर इत्यादि चढ़ाने हेतु राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकता है। कवर को सेलोटेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिका रहें।

3.4 शाला में तापमापी एवं वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चें उससे दैनिक तापमान एवं वर्षा की जानकारी प्राप्त कर, उसे अंकित करें तथा उसके माध्यम से नियमित मौसम का ज्ञान प्राप्त करें।

4/ **क्रय की प्रक्रिया :**

यहां यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हों। सामग्री/कार्य/गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर कक्षा 01 से 08 की शालाओं में पूर्ववत म0प्र0 भण्डार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युल का पालन करते हुये क्रय किया जायें।

4.1 सत्र 2022–23 में एक–परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी।

4.2 सर्वप्रथम शाला प्रबंध समिति की बैठक (शासन के प्रावधान अनुसार SMDC/SMC) आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकंलन किया जाए।

4.3 बैठक में ही आवश्यकतानुसार क्या–क्या कार्य/सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएं।

4.4 लिए गए निर्णय को शाला प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाएं।

4.5 सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएं। दुकानदार को भुगतान PFMS Module के द्वारा किया जायेगा।

4.6 यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नही पाई जाएं तो दुकानदार को इसे लौटाते हुये आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें।

4.7 स्व–सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

4.8 भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाईल में लगाएं। क्रय सामग्री के बिल, वाउचर, आदि को वाउचर फाईल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजी (भण्डार पंजी) में दर्ज किया जाएंगा। शाला प्रबंध समिति (SMDC/SMC) के सचिव/अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर व्यय राशि का समायोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएगे।

5/ **वित्तीय प्रबंधन–**

5.1 कक्षा 01 से 08 वाली एकीकृत शालाएं म.प्र.भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैन्युल का पालन अनिवार्य होगा।

5.2 सत्र 2022–23 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालावार निर्धारित Limit के आधार पर राशि व्यय की जायेगी। जिसके लिये विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेगे।

(धनराजू एस)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
03/08/2022

पृ0क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/एकी.शाला.नि./2022/4835 भोपाल दिनांक 23.8.2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

4. आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, समस्त राजस्व संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी /सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग/जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी/विकासखंड स्त्रोत समन्वयक म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संस्था प्रधान (प्राचार्य/प्रधानाध्यापक) समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
03/08/2022